प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 13.05.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा सम्बन्धित को समस्या निस्तारण हेतु जरिये दूरभाष दिये गये आवश्यक निर्देश।

जनपद महोबा में पीड़ित/शिकायतकर्ता की समस्याओं के समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की जा रही है, जनता की समस्याओं के समाधान के क्रम में आज दिनांक 13.05.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं एवं समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित को मौके पर जरिये दूरभाष आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर तत्काल जाकर शिकायतों की निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावनी प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 13.05.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सुरक्षा, नारी स्वाबलंबन एवं नारी सम्मान हेतु विशेष अभियान चलाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को चौपाल/पुलिस की पाठशाला लगाकर जागरूक किया जा रहा है।

मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद महोबा के थानों में नियुक्त एण्टीरोमियो/शक्ति दीदी टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के ग्रामों में भ्रमण कर जनचौपाल का आयोजन कर महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत आज दिनांक 13.05.2024 को शक्ति दीदी (महिला बीट तथा महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद के थानों पर आउटरीच प्रोग्राम चलाकर अपने-अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत आबादी क्षेत्र, बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, मेलों एवं गांव में पहुंचकर बालिकाओं/छात्राओं एवं महिलाओं को महिला उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिकारों एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जागरूक किया गया तथा

इस दौरान महिलाओ एवम् बालिकाओं को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा,नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन) अभियान के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई और विभिन्न परिस्थियों पर उनके सहायतार्थ जारी हेल्प लाइन नम्बर-112, 108, 181, 1076, 1090,1098 की जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग की विस्तृत जानकारी दी गई । साइबर अपराधों से बचाव के बारे में बताया गया और यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध की घटना घटित होती है तो तत्काल साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये सूचना दर्ज होने के उपरान्त त्वरित कार्यवाही की जायेगी

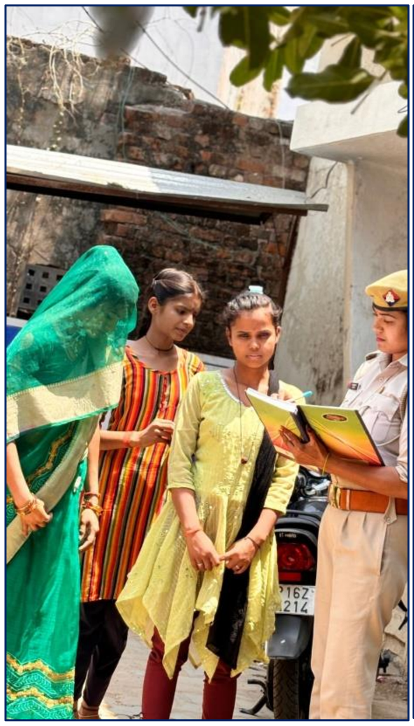

थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत जनपद में अवैध जुंआ/सट्टा के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 13.05.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम के उ0नि0 सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया व उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा द्वारा चेकिंग संदिग्ध/व्यक्ति के दौरान 03 नफर अभियुक्त क्रमशः 1.नीरज पुत्र छंगा प्रसाद लोधी उम्र करीब 28 वर्ष 2. रिंकू उर्फ दीपक कुमार पुत्र राजेन्द्र लोधी उम्र करीब 22 वर्ष 3. अनूप पटेल पुत्र भान सिंह पटेल उम्र करीब 28 वर्ष को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध क्रमशः मु0अ0स0 258/24, 259/24 व 260/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया एंव बाद आवश्यक कार्यवाही कर अभियुक्तणों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त, बरामदगी व आपराधिक विवरणः-

1. मु0अ0सं0 258/2024 बनाम नीरज पुत्र छंगा प्रसाद लोधी उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम नटर्रा थाना चरखारी जनपद महोबा (के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना)
2. मु0अ0सं0- 259/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम रिंकू उर्फ दीपक कुमार पुत्र राजेन्द्र लोधी उम्र करीब 22 वर्ष नि0 ग्राम दमदमा थाना खरेला जनपद महोबा (के कब्जे से 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना)
3. मु0अ0सं0- 260/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अनूप पटेल पुत्र भान सिंह पटेल उम्र करीब 28 वर्ष निवासी कीरतपुरा थाना चरखारी जनपद महोबा (के कब्जे से 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया
2. उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा
3. का0 मुकेश कुमार
4. का0 प्रवीण कुमार

थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद महोबा में होने वाले आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसी अपराधों में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.05.2024 को श्री सत्यम अपर पुलिस अधीक्षक व श्री रविकान्त गौंड क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में थाना श्रीनगर प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित टीम उ0नि0 अर्जुन सिंह, का0 शैलेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ एक नफर अभियुक्त नन्दकिशोर प्रजापति पुत्र शंकरलाल प्रजापति उम्र करीब 32 वर्ष निवासी खिरी थाना महराजपुर जनपद छतरपुर म0प्र0 को एक प्लाष्टिक की बोरी में 20 अदद क्वार्टर देशी शराब ठेका नाजायज के साथ कैमाहा बैरियर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से हुई बरामदगी के आधार पर थाना श्रीनगर में मु0अ0सं0 105/24 धारा 60 Ex. ACT का अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

नन्दकिशोर प्रजापति पुत्र शंकरलाल प्रजापति उम्र करीब 32 वर्ष निवासी खिरी थाना महाराजपुर जनपद छतरपुर

बरामदगी माल - अभियुक्त के कब्जे से एक प्लाष्टिक की बोरी में 20 अदद क्वार्टर देशी ठेका शराब नाजायज बरामद होना।